

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/5018-5018

जिला कलेक्टर,

समस्त राजस्थान,

Bye-mail
राजस्थान सरकार

दिनांक: 13.3.2023

विषय:- गान्धीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-2023 में घोषित 5000 नये डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 21514-21763 दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 1189-1202 दिनांक 23.01.2023

.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपके क्षेत्राधीन समस्त नगरीय निकायों को डेयरी बूथों का चिन्हीकरण कर आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर डेयरी बूथ आवंटन करने हेतु विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। अतः आपके क्षेत्राधीन नगरीय निकायों में निर्धारित डेयरी बूथों के आवंटन की समीक्षा कर दिनांक 20.03.2023 तक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर डेयरी बूथ आवंटन कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न:- अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021।

(डॉ. जोगा राम)

शासन सचिव

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/5019-5225

दिनांक: 12.3.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज0, जयपुर।
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
5. उपयुक्त यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान,
7. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर (आई.टी.सी.एल), निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव